न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या — 16 / 2018

प्रार्थीगणः—	बनाम	अप्रार्थीगणः—
.दीपाराम पुत्र फुआजी(फौत) के कायम मुकाम :— 1.हडमतसिंह पुत्र उकाराम जाति राजपुरोहित,निवासी पहाडपुरा 2.हंसुसिंह पुत्र दीपाराम, जाति राजपुरोहित, निवासी पहाडपुरा, 3. चौथीदेवी बेवा दीपाराम,जाति राजपुरोहित, निवासी पहाडपुरा, 4.लक्ष्मी पुत्री दीपाराम, जाति राजपुरोहित,निवासी पहाडपुरा, तहसील जालोर, जिला जालोर (राज.)		1.जैसाराम पुत्र फुआजी, जाति राजपुरोहित,निवासी पहाडपुरा 2.ग्राम पंचायत जरिए सरपंच, ग्राम पंचायत तिखी, पंचायत समिति सायला, तहसील जालोर 3.हीराराम पुत्र दरगाराम, जाति कुम्हार,निवासी पहाडपुरा, तहसील जालोर, जिला जालोर(राज.)

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
विरूद्ध आदेश सरपंच, ग्राम पंचायत तिखी, दिनांक 27.12.2017
(अनापति प्रमाणपत्र कमांक94)

उपस्थिति :—
1-श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, अभिभाषक, प्रार्थी की ओर से।
2.श्री गोपालसिंह राजपुरोहित, अभिभाषक, अप्रार्थी सं.1,3 की ओर से।
3.श्री तेजसिंह बालावत,अभिभाषक,अप्रार्थी सं.2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 31.1.2020

1. प्रार्थीगण के अनुसार निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पहाडपुरा, की आबादी भूमि में एक प्लॉट स्थित था जिसके पूर्व में—जबरसिंह पुत्र विजयसिंह का प्लॉट भुजा 110 फुट, पश्चिम में—उप स्वास्थ्य केन्द्र भुजा 110 फुट,उतर में—रास्ता व प्लॉट का प्रवेश द्वार,भुजा 45 फीट,दक्षिण में—छैलसिह पुत्र विजयसिंह राजपूत, भुजा 45 फुट है,उक्त प्लॉट दीपाराम पुत्र

फुआजी के मालिकाना हक व पुश्तैनी कब्जासुदा था, जो दिनेश पुत्र रणछोडाराम जाति मेघवाल, निवासी तिखी के पास रहन रखा था, दिनेश कुमार की मृत्यु हो चुकी है,अप्रार्थी सं.1 जैसाराम ने इस प्लॉट का बैचान करने के लिए अनापति प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत तिखी में दिनांक 21.11.17को पेश करना बताया है,ग्राम पंचायत तिखी ने स्थल का मौका निरीक्षण किए बिना उसके मालिकाना हक बाबत् जांच किए बिना तथ बैठक में प्रस्ताव पास किए बिना सरपंच व तत्कालीन ग्रामसेवक ने उसका पुश्तैनी प्लॉट मानते हुए विवादित अनापति प्रमाणपत्र अप्रार्थी सं.2 के पक्ष में जारी किया, ऐसा कोई कानून नहीं हैं कि इकरारनामा के आधार पर किसी सम्पति में खरीददार को मालिकाना हक उत्पन्न होता हो।वर्तमान प्रकरण में जैसाराम स्वयं के प्रार्थनात्र में उक्त भूमि अपनी व पुश्तैनी हक के आधार पर प्राप्त होना बता रहा है, दूसरी तरफ दिनेश पुत्र रणछोडजी निवासी तिखी ने जरिए इकरारनामा दिनांक 4.1.13 को खरीदना बता रहा है,जब तक जैसाराम के नाम रजिस्टर्ड दस्तावेज नही होता तब तक उसे मालिक नहीं माना जा सकता, जैसाराम अपने प्रार्थनापत्र में बाप दादा की सम्पति बता रहा है ,दूसरी तरफ इकरारनामा से खरीदसुदा बता रहा है,जो विरोधाभास प्रकट हो रहा है,हक टाईटल प्रार्थी के पिता दीपाराम का ही था जिनकी मृत्यु होने से कानूनी वारिसान् होने के कारण मालिकाना हक व कब्जा प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं.1 का ही है,प्रार्थी सं.1 ने दिनांक 22.6.18 को सूचना अधिकार के तहत् एक आवेदन ग्राम पंचायत तिखी में पेश कर अनापति प्रमाण पत्र व अन्य नकले मांगी जो दिनांक 20.7.18को उपलब्ध करवाने निगरानी पेश की,इस प्रकार दिनांक 20.7.18 को प्रथम बार जानकारी प्राप्त हुई। अतः प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में जारी अनापति प्रमाणपत्र कमांक 94 दिनांक 27.12.17 निरस्त करावे। प्रार्थीगण ने निगरानी के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय हडमसिंह का शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ नकले पेश की, इस पर निगरानी दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अप्रार्थी सं.3 की ओर से उनके वकील ने दिनांक 3.4.19 को एक प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 9 व 13सपठित धारा 151 सी.पी.सी.बाबत् दीपाराम की एक अन्य पुत्री को पक्षकार नहीं बनाने के निगरानी खारिज करने पेश किया, बाद सुनवाई उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 24.10.19 को खारिज किया गया।

3. अप्रार्थी सं.2 की ओर से उनके वकील ने दिनांक 3.4.19को प्रार्थीगण के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का जवाब पेश किया कि हडमतसिंह को कब्जा हस्तान्तरण सबंधित जानकारी थी, हस्तान्तरण के सबंधित दस्तावेज उसके पिता ने दिनांक 13.12.11को निष्पादित किया था जिसमें हडमतसिंह के हस्ताक्षर है।हडमतसिंह को अनापति प्रमाणपत्र जारी होने से सबंधित पूर्ण जानकारी थी, तथा हडमतसिंह ने निगरानी प्रार्थनापत्र देरी से पेश करने से खारिज करावे।

4. अप्रार्थी सं.2 की ओर से उनके वकील ने दिनांक 3.4.19को जवाब पेश किया कि दीपाराम पुत्र फुआजी ने अपने ग्राम पंचायत तिखी के आवासीय प्लॉट कब्जासुदा को दिनेश कुमार पुत्र रणछोडजी को बैचान कर दिया था, उपरोक्त बैचान में दीपाराम के वारिसान् हडमतसिंह,चौथीदेवी व हंसुसिंह के ईकरारनामा दिनांक 13.12.17को निष्पादित किया, उस पर हस्ताक्षर है तथा अलग से सहमति पत्र दीपाराम के वारिसानों के द्वारा दिनेशकुमार के हक में निष्पादित किये गये है तथा कब्जा आवासीय प्लॉट पर दीपाराम के द्वारा सुपुर्द किया गया था, दिनेशकुमार ने उक्त प्लॉट का बेचान जैसाराम पुत्र फुआजी को दिनांक 4.1.13को कर दिया तथा मौके पर भौतिक रूप से कब्जा जैसाराम प्राप्त करने से उसका कब्जा निरन्तर रहा है, उक्त प्लॉट के हस्तान्तरण हेतु ग्राम पंचायत में अनापति प्रमाणपत्र हेतु आवेदन किया,ग्राम पंचायत ने कार्यवाही कर सरपंच व वार्डपचों की मौका रिपोर्ट देखकर दिनांक 21.11.17को प्रस्ताव पारित किया तथा मौका कमेटी द्वारा जांच की गयी,जैसाराम का कब्जा पाया गया तथा उसी के आधार पर जैसाराम के नाम से अनापति प्रमाणपत्र दिनांक 29.12.17को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया, अनापति प्रमाणपत्र में पुश्तैनी शब्द का आधार नहीं लिया गया है, निगरानी में तमाम पक्षकारों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, हंसुसिंह के हस्ताक्षर नही है,हडमतसिंह को उपरोक्त कब्जा हस्तान्तरण की जानकारी थी ,उसके पिता ने दिनांक 13.12.11 को हस्तान्तरण निष्पादित किया था उसमें हडमतसिंह के हस्ताक्षर है, अतः प्रार्थीगण की निगरानी प्रार्थनापत्र को खारिज करावे।

5. अप्रार्थी सं.3 की ओर से उनके वकील ने दिनांक 12.9.19 को प्रार्थीगण के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का जवाब पेश किया कि अनापति प्रमाणपत्र की जानकारी हडमतसिंह को कब हुई, कोई उल्लेख निगरानी प्रार्थनापत्र में नही है, उक्त जानकारी पहले से प्रार्थीगण को होने के उपरान्त भी करीब 6 माह बाद सूचना के अधिकार के तहत् आवेदन किया तथा सप्ताह भर बाद निगरानी प्रार्थनापत्र पेश किया है,निगरानी देरी से प्रस्तुत करने से खारिज करावे।

6 अप्रार्थी सं.3 की ओर से उनके वकील ने दिनांक 12.9.19 को जवाब पेश किया कि उक्त आवासीय भूखण्ड प्रार्थीगण का न होकर अप्रार्थी सं.1 जैसाराम का भाईबंट का पुश्तैनी प्लॉट है, अप्रार्थी सं. 1 के छोटे भाई दीपाराम ने उक्त प्लॉट का गलत ढंग से दिनेशकुमार मेघवाल को बैचान कर दिया था जिसका अप्रार्थी सं.1द्वारा एतराज कर पुनः दीपाराम से दिनेशकुमार को बैचान किया, बैचान करने के उपरान्त भी दिनेशकुमार का उक्त प्लॉट पर कभी कोई कब्जा नही रहा, शुरू से ही प्लॉट पर अप्रार्थी सं. 1—जैसाराम का कब्जा रहा है, अप्रार्थी सं.1—जैसाराम के प्रार्थनापत्र पर वार्ड पंचो की कमेटी की जांच रिपोर्ट के अनुरूप ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में एन.ओ.सी. जारी की गई तथा एन.ओ.सी. के आधार पर ही अप्रार्थी सं. 3 द्वारा अपनी धर्मपत्नि श्रीमति सेदरीदेवी के नाम से अप्रार्थी सं. 1—जैसाराम से खरीदकर दिनांक 3.1.18को उप पंजीयक कार्यालय जालोर में दस्तावेज पंजीयन करवाया है तब से आज तक अप्रार्थी सं.3 के परिवार का मौके पर कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है,अप्रार्थी सं.1—जैसाराम ने अप्रार्थी सं. 3 हीराराम की धर्मपत्नि श्रीमति सोदरीदेवी को बैचान किया है लेकिन प्रार्थीगण द्वारा हीराराम को पक्षकार बनाया है जो गलत है।इसमें मृतक दीपाराम के शेष वारिसान् को पक्षकार नहीं बनाया है,निगरानी प्रार्थनापत्र मिस जोइन्डर ऑफ पार्टीज की तारीफ में होने से तथा निगरानी निर्धारित समयावधि में पेश नहीं किये जाने से तथा तथ्यों को तोड मरोडकर पेश करने से प्रार्थीगण की निगरानी खारिज करावे।

7. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपने निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि जब तक जैसाराम के नाम रजिस्टर्ड दस्तावेज नही होता तब तक उसे मालिक नहीं माना जा सकता, इस प्रकार जैसाराम का हक टाईटल स्पष्ट नहीं होने से ग्राम पंचायत तिखी द्वारा जैसाराम को अनापति प्रमाणपत्र गलत जारी किया गया है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं.1—जैसाराम को जारी एन.ओ.सी. निरस्त करावे।इसके विपरीत अप्रार्थी सं.1,3 के वकील ने बताया कि उक्त आवासीय प्लॉट प्रार्थीगण का न होकर अप्रार्थी सं.1—जैसाराम के भाई बंट का पुश्तैनी प्लॉट है, उक्त प्लॉट का अप्रार्थी सं.1—जैसाराम के छोटे भाई दीपाराम ने गलत ढंग से दिनेशकुमार मेघवाल को बैचान कर दिया था जिसका अप्रार्थी सं.1—जैसाराम द्वारा एतराज करने पर , अप्रार्थी सं.1—जैसाराम ने उक्त प्लॉट दिनेशकुमार मेघवाल से खरीद किया, ग्राम पंचायत तिखी में प्रार्थनापत्र पेश करने पर वार्ड पंचो की जांच रिपोर्ट के बाद ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में एन.ओ.सी.जारी की गई तथाएन.ओ.सी. के आधार पर उक्त प्लॉट

जैसाराम से अप्रार्थी सं.3—हीराराम की पत्नि श्रीमति सोदरीदेवी के नाम से खरीद किया है लेकिन प्रार्थीगण द्वारा हीराराम को पक्षकार बनाया गया है, अतः प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थनापत्र खारिज करावे।

8. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत तिखी की मिसल का अवलोकन करने पर,अप्रार्थी सं.1—जैसाराम पुत्र फुआजी जाति पुरोहित,निवासी पहाडपुरा द्वारा मौजा पहाडपुरा में स्थित प्लॉट का हस्तान्तरण करने हेतु एन. ओ.सी जारी करने बाबत् दिनांक 21.11.17 का प्रार्थनापत्र जो ग्राम पंचायत तिखी को संबोधित है, संलग्न है, उक्त प्रार्थनापत्र के साथ दिनेशकुमार पुत्र रणछोडजी, जाति मेघवाल,निवासी तिखी द्वारा प्लॉट अप्रार्थी सं.1—जैसाराम को बैचान का ईकरारनामा जो उप पंजीयक जालोर के यहां पंजीबद्ध किया हुआ नहीं है, संलग्न है, इसके अलावा कोई ब्ल्युप्रिन्ट नक्शा या हक टाईटल पेश नही किया गया है,मिसल में कोई आदेशिका नहीं है, उपलब्ध रैकार्ड अनुसार उक्त एन.ओ.सी.बाबत् कोई प्रस्ताव लिया हुआ नहीं है। मिसल में प्रार्थनापत्र के दिवस ही ग्राम पंचायत तिखी का पत्र दिनांक 21.11.17 द्वारा सरपंच,वार्ड पंच का मौका रिपोर्ट दिनांक 24.11.17तक पेश करने हेतु लिखा गया है, मौका कमेटी निरीक्षण की रिपोर्ट दिनांक 24.11.17 अनुसार मालिकाना हक जैसाराम का होना बताया और सरपंच, ग्राम पंचायत तिखी द्वारा पत्रांक 94 दिनांक 27.12.17 से अनापति प्रमाण पत्र जैसाराम के नाम जारी किया गया है। इस प्रकार ईकरारनामा के आधार पर अप्रार्थी सं. 1—जैसाराम को अनापति प्रमाणपत्र कमांक 94दिनांक 27.12.17 जारी किया गया है जो पंचायत की बिना बैठक व बिना प्रस्ताव पारित किए जारी किया गया है। अपंजीकृत ईकरारनामें के आधार पर स्वत्व का हस्तान्तरण नही हो सकता।

उप शासन सचिव(विधि,ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग(पंचायती राज विभाग),राज. जयपुर के परिपत्र कमांकःएफ.4(16)दिशा निर्देश/विधि/पंस/325 दिनांक 19.4.2017 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में स्वामित्व प्रमाणपत्र अथवा किसी निजी भवन के विक्रय आदि के सबंध में अनापति प्रमाणपत्र ग्राम पंचायतों द्वारा जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। हस्तगत प्रकरण में सरपंच,ग्राम पंचायत तिखी द्वारा अप्रार्थी सं.1—जैसाराम को कमांक 94 दिनांक27.12.2017 से ऐसा ही अनापति प्रमाणपत्र जारी किया गया है जिसमें यह अंकित हैं कि जैसाराम पुत्र फुआजी जाति पुरोहित द्वारा मालिकाना हक अनुसार उक्त प्लोट का बैचान करता तो कार्यालय ग्राम पंचायत तिखी को कोई आपति ऐतराज नही होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार की जाकर सरपंच,ग्राम पंचायत तिखी द्वारा दिनांक 27.12.2017 (पत्रांक 94) से अप्रार्थी सं.1—जैसाराम के पक्ष मे जारी अनापति प्रमाणपत्र, निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 31.1.2020को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2020.02.05 12:39:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: